$15\frac{7}{24}$ पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। प्रार्थी पप्पू खान द्वारा प्रार्थना-पत्र 01R10 CPC इस आशय का पेश किया गया कि विवादित भूमि पर प्रार्थी के पूर्वज छोटू पुत्र जमाल काश्त करते थे तत्पश्चात प्रार्थी के दादा को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। संम्वत 2011 से 2014 में प्रार्थी के पूर्वज छोटू पुत्र जमाल का हक के कालम में नाम दर्ज रहा तत्पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2013 से 2016 में प्रार्थी के पूर्वज का नाम यथावत रहा। इसी आधार पर एक वाद बाबत उद्घोषणा न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन है जिसमें कृषि भूमि के सम्बन्ध में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं एक-दूसरे के कब्जा काश्त में दखलंदाजी न करने का स्थगन जारी किया हुआ है। पत्थरगढ़ी आवेदन कर्ता कृषि भूमि पर Subsequent Purchaser है जिसका वाद भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अतः प्रार्थी का आवेदन 01R10 CPC को स्वीकार कर पक्षकार संयोजित किया जावे व प्रार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का उचित अवसर दिया जावे। जिससे प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात नहीं है।

पत्थरगढ़ी आवेदन कर्ता सज्जन कुमार के अधि. श्री महेन्द्र पारीक द्वारा आवेदन का जवाब प्रस्तुत किये बगैर ही बहसहेतु निवेदन किया। बहस अधि. उभयपक्ष सुनी गई। बहस मुताबिक आवेदन रहीं। पत्थरगढ़ी आवेदन कर्ता के अधि. द्वारा अपनी बहस में कहा विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिकारी की धारा 19 के तहत नकू पुत्र गीन्डा के नाम मिसमियत सरकार से दर्ज हुआ है ना कि प्रार्थी के पूर्वजों की भूमि से। प्रार्थीगण भूमि के Bonafide Purchaser है एवं उनके कब्जा काश्त भूमि में किसी अन्य को पक्षकार

यालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर

वान सज्जनकुमार बनाम तहसीलदार

दमा नं. 5/452/16 दि. 4/9/2024

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अवलोकन करने पर पाया गया कि सम्वत् 2013 से 2016 की जमाबन्दी में प्रार्थी के पूर्वजों का नाम दर्ज न होकर मिलकियत सरकार दर्ज है एवं नब्बू के नाम भूमि मिलकियत सरकार से खातेदारी दर्ज हुई है। अतः हमारी राय में प्रार्थी पप्पू खान को उक्त प्रार्थना-पत्र में पक्षकार बनाया जाना उचित नहीं है। प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

बहस अधिवक्ता एकपक्षीय मूल प्रार्थना-पत्र पर सुनी गई। प्रार्थना-पत्र प्रार्थीजन को स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर